E-mail: registrar@csjmu.ac.in
registrarcsjmuknp@gmail.com

☎: 0512-2246609
☎: 0512-2246602

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा A++ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राप्त श्रेणी–। विश्वविद्यालय
(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
(Formerly Known as Kanpur University Kanpur-208024)

पत्रांकः सी.एस.जे.एम.वि.वि./सा0प्रशा0/ 164 /2025 दिनांकः 14/02/2025

कार्यालय आदेश

मुख्य सचिव, परिवहन अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांक–06/2025/364/तीस–3–2025 दिनांक 11.02.2025 के द्वारा मा0 श्री न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे (पूर्व न्यायाधीश, मा0 सर्वोच्च न्यायालय), अध्यक्ष, सड़क सुरक्षा समिति, मा0 सवोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में दिनांक 05 फरवरी, 2025 को लखनऊ में सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी है। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मृत्यु का एक प्रमुख कारण दोपहिया वाहन चालकों और उनके सहयात्रियों द्वारा हेलमेट न पहनना तथा चार पहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट का उपयोग न करना है। पत्र में निम्नवत निर्देशों का अनुपालन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है–

1. उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्ध–शासकीय कार्यालयों के शिक्षक/अधिकारी, कर्मचारी व छात्र–छात्रा जो दोपहिया वाहन से कार्यालय/विभाग में आते है, वे हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनें और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना आवश्यक हो।
2. जो शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी/छात्र–छात्रा चारपहिया वाहन से कार्यालय आते है, वे वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें एवं अन्य सभी सह यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है।
3. सभी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र–छात्रा उक्त निर्देशां का पूर्णतः पालन करें।
4. सभी शासकीय एवं अर्ध–शासकीय कार्यालयों के प्रवेश द्वारा पर सुरक्षाकर्मी हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनुपालन की जांच करें। बिना हेलमेट/सीट बेल्ट के प्रवेश करने पर रोक लगाई जाए।
5. सभी अधिकारी/कर्मचारी/छात्र–छात्रा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु जागरूक हो और हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाएं।
6. नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों/छात्र–छात्राओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही पर विचार किया जाएगा।
7. उपर्युक्त निर्देश केवल एक औपचारिकता न होकर, प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी व छात्र–छात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यन्त आववश्यक है। हम सभी को इस पहल को गंभीरता से लेना चाहिए और समाज में एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना चाहिए।

registrar@csjmu.ac.in
registrarcsjmuknp@gmail.com

☎: 0512-2246609
☎: 0512-2246602

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा A++ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राप्त श्रेणी–। विश्वविद्यालय
(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
(Formerly Known as Kanpur University Kanpur-208024)

पत्रांकः सी.एस.जे.एम.वि.वि./सा0प्रशा0/ 164 /2025 — दिनांकः 14/02/2025

इस सम्बन्ध में आदेशानुसार सुरक्षा प्रभारी, विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर तथा वाहन स्टैण्ड में दोपहिया वाहन का बिना हेलमेट तथा चार पहिया वाहन वालो को बिना सीट बेल्ट के प्रवेश प्रतिबंधित किया जाय।

अतः समस्त को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार विश्वविद्यालय में प्रवेश करने वाले शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी/छात्र–छात्रा तथा समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय अपने–अपने संस्थानों में अनिवार्य रूप से निर्देशों का अनुपालन करना/कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में उक्त का अनुपालन न किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

डॉ० (अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य सचिव, परिवहन अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. संभागीय परिवहन अधिकारी, कानपुर को उनके पत्रांक–176/सा0प्रशा0/हेलमेट–सीटबेल्ट/2025 दिनांक 13.02.2025 के क्रम में।
3. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय।
4. कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना।
5. यातायात पुलिस, कानपुर।
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/चीफ प्रॉक्टर, सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय, कानपुर।
7. सुरक्षा, प्रभारी, सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय, कानपुर।
8. समस्त संकायाध्यक्ष/निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी/अधिकारी/कर्मचारीगण को अनुपालनार्थ।
9. प्रभारी, पी0एम0यू0 सेल, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. समन्वयक, रोवर्स रेंजर्स
11. निजी सचिव, कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
12. वैयक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक।
13. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

महत्वपूर्ण/..........

संख्या- 06 /2025/364/तीस-3-2025

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / मंडलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 11 फरवरी, 2025

विषय कार्यालय आते समय दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिए हेलमेट तथा चारपहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

मा० श्री न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे (पूर्व न्यायाधीश, मा० सर्वोच्च न्यायालय), अध्यक्ष, सड़क सुरक्षा समिति मा० सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में दिनांक 05 फरवरी, 2025 को लखनऊ में सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में यह पाया गया कि दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मृत्यु का एक प्रमुख कारण दोपहिया वाहन चालकों और उनके सहयात्रियों द्वारा हेलमेट न पहनना तथा चारपहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट का उपयोग न करना है।

2. उक्त बैठक में मा० अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये कि :-

(1) उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्ध-शासकीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी जो दोपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनें और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना आवश्यक हो।

(2) इसी प्रकार, जो अधिकारी/कर्मचारी चारपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें एवं अन्य सभी सह यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य हो।

(3) सभी विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि उनके

Scanned with OKEN Scanner

E-mail: registrar@csjmu.ac.in
registrarcsjmuknp@...

दीनदयाल उपाध्याय...

पत्रांक : ...

...08/2025-परिवहन अनुभाग-3-transport Department

अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी इस निर्देश का पूर्णतः पालन करें।

(4) सभी शासकीय एवं अर्ध-शासकीय कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनुपालन की जांच करें। बिना हेलमेट/सीट बेल्ट के प्रवेश करने पर रोक लगाई जाए।

(5) यातायात पुलिस और जिला प्रशासन इस नियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें और उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक कार्यवाही करें।

(6) सभी कर्मचारी सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु जागरूक हों और हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाएं।

(7) नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही पर विचार किया जाए।

(8) उपर्युक्त निर्देश केवल एक औपचारिकता न होकर, प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सभी को इस पहल को गंभीरता से लेना चाहिए और समाज में एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना चाहिए।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को यथाशीघ्र प्रेषित किया जाए।

भवदीय,

Signed by
Manoj Kumar Singh
Date: 09-02-2025 14:40:52
(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या- 26 /2025/364(1)/तीस-3-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- अध्यक्ष, मा० सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

Signed by
Lakku Venkateshwarlu
Date: 10-02-2025 14:01:12
(एल० वेंकटेश्वर लू)
प्रमुख सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

ई–मेल द्वारा

कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी
कानपुर।

पत्र संख्या– 176/सा0प्रशा0/हेलमेट–सीटबेल्ट/2025

सेवा में, **दिनांकः 13.02.2025**

कुल सचिव,
कानपुर विश्वविद्यालय,
कानपुर।

विषयः– **कार्यालय आते समय दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिए हेलमेट तथा चारपहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–06/2025/364/तीस–3–2025 दिनांक 11 फरवरी, 2025 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय आते समय दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिए हेलमेट तथा चारपहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने विश्वविद्यालय परिसर तथा वाहन स्टैण्ड में दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट तथा चारपहिया वाहन चालकों को बिना सीट बेल्ट के प्रवेश प्रतिबंधित करने के संबंध में अपने स्तर से आदेश जारी करने का कष्ट करें। आदेश की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
13.2.25
(राकेन्द्र कुमार सिंह)
संभागीय परिवहन अधिकारी
कानपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), कानपुर।
2– सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), कानपुर।

संभागीय परिवहन अधिकारी
कानपुर।